

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/270

दिनांक 13/4/18

:- आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2015-16 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. प्रहलादराम तिरदीया	27.10.1978	12.10.2015	12.10.2016 (31 EOL)	13.10.2016
2	डॉ. अरविन्द कुमार रोहिला	15.08.1987	02.06.2016	21.06.2017 (50 EOL)	22.06.2017
3	डॉ. देवी लाल धाकड	07.07.1985	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
4	डॉ. राजेश कुमार प्रजापति	14.01.1990	01.06.2016	31.05.2017	01.06.2017
5	डॉ. दिशा हसानी	19.08.1989	27.10.2015	09.01.2017 (104 EOL)	10.01.2017
6	डॉ. धर्मन्द्र कुमार	18.07.1991	17.08.2016	16.08.2017	17.08.2017
7	डॉ. अरविन्द सिंह तँवर	25.12.1990	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
8	डॉ. अनिल कुमार	10.04.1991	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
9	डॉ. मोहम्मद साजिद	16.12.1981	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
10	डॉ. प्रशान्त चौहान	30.01.1985	08.07.2016	07.07.2017	08.07.2017
11	डॉ. परमवीर सिंह	18.06.1989	08.07.2016	05.09.2017 (90 EOL)	06.09.2017
12	डॉ. अशोक कुमार गुर्जर	23.08.1986	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
13	डॉ. अशोक पंवार	28.10.1987	16.10.2015	20.11.2016 (66 EOL)	21.11.2016
14	डॉ. मुकेश कुमार जाट	30.06.1991	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/ 270

दिनांक 13/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
- ✓ 5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर